न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–3, जौनपुर।

सत्र परीक्षण संख्या– 251 / 2015

राज्य ————————बनाम————कामता व अन्य

मु0अ0सं0–198 / 2000

धारा–323,325,308,504 भा0दं0वि0

थाना – खेतासराय जिला जौनपुर।

<u>आरोप</u>

मैं मृदुल कुमार मिश्र, अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नंबर–3,जौनपुर एतद्द्वारा

आप – कामता प्रसाद, लालता प्रसाद व संजय कुमार

पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ।

प्रथमः यह कि दिनांक 06.08.2000 को समय करीब 9.00बजे सुबह स्थान ग्राम मवई थाना खेतासराय जिला जौनपुर मे आप लोगो ने अपने सामान्य आशय के अग्रसारण मे वादी व उसकी मां सुन्दरी देवी तथा चाची अमरावती को लाठी डण्डा व लात धुसा से मारकर साधारण चोटें कारित किया जो कि धारा 323 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

द्वितीय– यहकि उपरोक्त दिनाक समय व स्थान पर आप लोगो ने अपने सामान्य आशय के अग्रसारण मे वादी मुकदमा व उपरोक्त को लाठी डण्डा लात धूसा से मारकर गम्भीर चोटें कारित किया जिससे वादी की मां सुन्दरी देवी के दाहिनी पेराईटल हड्डी एवं टैम्पोरल हड्डी मे फैक्चर पाया गया। जो कि धारा 325 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

तृतीय– यहकि उपरोक्त दिनाक समय व स्थान पर आप लोगो ने अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण मे वादी मुकदमा की मां सुन्दरी देवी को इस आशय अथवा ज्ञान एवं इन परिस्थितियों में आहत किया कि यदि उसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या की कोटि में न आने वाले सदोष मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड विधान की धारा 308 / 34 के अंतर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुंर्थ – यहकि उपरोक्त दिनाक समय व स्थान पर आप लोगो ने अपने सामान्य उददेश्य के अग्रसारण मे वादी मुकदमा व उपरोक्त लोगो को भददी भददी गालियां देकर शासय अपमानित किया जिससे लोकशांति भंग होने का

अंदेशा पैदा हुआ। इसप्रकार आप लेागो ने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0स0 की धारा 504 के अंतर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

एतद्द्वारा आपं को निर्दिष्ट किया जाता है कि आपलोगो का परीक्षण उक्त आरोपं के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–02.12.2015 (मृदुल कुमार मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीशे कोर्ट नंबर–3,
जौनपुर।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसने आरोप से इनकार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक– 02.12.2015 (मृदुल कुमार मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर–3,
जौनपुर।

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–3, जौनपुर।

सत्र परीक्षण संख्या– 251 / 2015

राज्य ––––––––––बनाम––––कामता व अन्य

मु0अ0सं0–198 / 2000

धारा–323,325,308,504 भा0दं0वि0

थाना – खेतासराय, जिला जौनपुर।

<u>दिनांक 02.12.15</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्तगण कामता प्रसाद, लालता प्रसाद व संजय कुमार मय अधिवक्ता उपस्थित है। राज्य की ओर से विद्वान ए0 डी0 जी0 सी0 (क्रिमिनल) उपस्थित है।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अपना केस बताते हुये उन प्रस्तावित साक्ष्यों का वर्णन किया जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया जाना है।

मैने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि अभियुक्तगण कामता प्रसाद, लालता प्रसाद व संजय कुमार के विरूद्ध धारा 323,325,308,504 भा0द0सं0 के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है ।अतः अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप लगाया गया। जिससे उन्होने इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य पी.डबलू.1 अनिल कुमार दिनांक– 23–12–15 को पेश हो। सूची से गवाहान तलब किये जाय।

(मृदुल कुमार मिश्र)

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0–3

जौनपुर।